कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी मुरादाबाद/सम्भल।

पत्रांक: प- 61/सीएफओ/एमडीडी-17

दिनांक: मई 30 2017

सेवा में,

अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0/रा0)
सम्भल।

विषय: खसरा संख्या: 151/2 ग्राम चन्दावली हसनपुर रोड सम्भल जिला सम्भल पर इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 के प्रस्तावित रिटेल आउटलेट(पैटोल पम्प) के निर्माण हेतु अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति आख्या के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक: 2421/2/रीडर-अ0प्र0पत्र/2006-17 दिनांक: 28-04-2017।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक, सन्दर्भित पत्र के कम में ,जिसके द्वारा खसरा संख्या: 151/2 ग्राम चन्दावली हसनपुर रोड सम्भल जिला सम्भल पर इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 के प्रस्तावित रिटेल आउटलेट(पैटोलपम्प) के निर्माण हेतु अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति आख्या उपलब्ध कराने हेतु अपेक्षा की गयी है। उक्त के अनुपालन में अग्निशमन द्वितीय अधिकारी सम्भल द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराया गया उनकी आख्या के अनुसार आख्या निम्नवत् है :-

1--प्रश्नगत रिटेल आउटलेट के सामने 12 मीटर चौड़ाई का रोड उपलब्ध है जो मानको के अनुसार है।
2--प्रश्नगत स्थल के ऊपर से कोई विद्युत लाईन नही गुजर रही है।

प्रश्नगत रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु पेट्रोलियम एक्ट-1934 तथा उसके रूल्स के अनुसार अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी प्राविधान किये जाने अनिवार्य होगें, जो निम्नवत है :-

1--45 लीटर क्षमता की 02 अदद मैकेनिकल फोम ट्राली।
2--ए0बी0सी0 टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 10 किग्रा0 के 04 अदद।
3--नो स्मोकिंग बोर्ड स्थापित कराया गया है।
4--02-02 अदद सैण्ड फायर बकेट एवं वाटर बकेट स्थापित कराये गये है।
5--प्रश्नगत रिटेल आउटलेट के आस--पास अन्य कोई ज्वलनशील पदार्थ का भण्डारण नही है।

अतः प्रश्नगत पैट्रोल पम्प हेतु अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी प्रोविजनल अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति आख्या निम्नलिखित प्रतिबन्धो के साथ निर्गत की जाती है:-

1--प्रश्नगत पेट्रोल पम्प सभी निर्माण कार्य पेट्रोलियम एक्ट-1934 एवं सम्बन्धित पेट्रोलियम रूल्स विषयक समय-समय पर यथा संशोधित विधियो एवं तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि मे उल्लेखित विधि के अनुरूप।
2--प्रश्नगत पेट्रोल पम्प के ऊपर से किसी प्रकार हाई/लो टेशन विधुत लाईन नही गुजारी जायेगी ।
3--प्रश्नगत पेट्रोल पम्प परिसर में हाउस कीपिंग उच्च कोटि की होगी।
4--प्रश्नगत पेट्रोल पम्प पर मानचित्रो मे दर्शाये गये पेट्रोल पदार्थो के अतिरिक्त अन्य कोई ज्वलनशील भण्डारण नही किया जायेगा ।
5--प्रश्नगत पेट्रोल पम्प भण्डारण स्थल पर नियुक्त समस्त स्टाफ को प्राथमिक अग्निशमन यन्त्रों को चलाने की जानकारी के साथ ही अग्नि सुरक्षा नियमो की जानकारी होना आवश्यक है।
6--पेट्रोल पम्प पर किसी भी प्रकार के पदार्थो या स्थितियो आदि जो चिंगारी आग उत्पन्न करते है का प्रयोग वर्जित होगा तथा इसमे समुचित उपाय उपलब्ध रखे जायेंगे।
7--भण्डारण स्थल पर विधुत सुरक्षा व्यवस्था इण्डियन इलैक्ट्रिसिटी एक्ट एवं भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0-1646:1982 तथा सम्बन्धित नियमो मे निर्धारित मानको के अनुसार कराई जानी अनिवार्य होगी।

कृ0प0उ0............

मुख्य मण्डल बिक्री प्रबन्धक, मुरादाबाद मण्डल कार्यालय, Moradabad Divisional Office
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. (एम.डी.)
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
कोल्ड स्टोरेज के सामने दिल्ली रोड, एन.एच. 24
Opp. Cold Storage Delhi Road, N.H. 24
पो. पकबड़ा, मुरादाबाद-244102 (उ.प्र.)
Pakbara, Moradabad-244102 (U.P.)

Scanned by CamScanner

8–उपरोक्तानुसार स्थापित समस्त अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में रखा जायेगा।

अतः उपरोक्त शर्तो के अधीन प्रश्नगत रिटेल आउटलेट के निर्माण के उपरान्त उपरोक्तानुसार अग्निशमन उपकरणो को स्थापित कराये जाने की शर्त पर प्रश्नगत रिटेल आउटलेट हेतु अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति आख्य इस शर्त पर निर्गत की जाती है कि प्रश्नगत रिटेल आउटलेट के निर्माण के उपरान्त कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अन्तिम अनापत्ति प्रामाण पत्र प्रप्त करना होगा अन्यथा की स्थिति में निर्गत किया जा रहा अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(वी0के0 सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुरादाबाद / सम्भल।

प्रतिलिपिः–अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, सम्भल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुरादाबाद

Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
Opp. Cold Storage, Delhi Road, N.H. 24
P.O. Pakbara, Moradabad-244102 (U.P.)